



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 504 राँची, गुरुवार, 13 अक्टूबर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

6 अक्टूबर, 2022

अधि० संख्या-11/क०च०आ०-16-08/2013 6253--झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2008 (झारखण्ड अधिनियम 16, 2008) की धारा 12 की उप धारा (ii) तथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित 2019 एवं 2021) के नियम 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा **डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता** स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के संचालन के निमित्त निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :- (i) यह नियमावली “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2022” कहलाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह नियमावली “झारखण्ड राजपत्र” में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के नियम 7 में अंकित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित 2019) के नियम 10 की अनुसूची 2 के पदों के लिए निम्नांकित प्रावधान है:-

परीक्षा का स्वरूप :-

अनुसूची 2 के पदों के लिए

इस परीक्षा में पद/सेवा वार एक पत्र होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी तथा परीक्षा अवधि 3 घंटा की होगी।

पत्र-1

सामान्य अभियांत्रिकी	-	120 प्रश्न
सामान्य ज्ञान	-	60 प्रश्न
कुल		180 प्रश्न

परीक्षा अवधि- 3 घंटा

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं०	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	लेबोरेट्री असिस्टेंट/लेबोरेट्री अटैन्डेंट/फार्मासिस्ट	फार्मसी
2	एक्स-रे तकनिशियन	एक्स-रे प्रावैधिकी
3	आपथेल्मिक सहायक	आपथेल्मिक
4	प्रयोगशाला तकनिशियन	प्रयोगशाला प्रावैधिकी

(1) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा।

(2) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है उन विषय/विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा संबंधित विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जायेगा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:

“परीक्षा का स्वरूप :-

अनुसूची 2 के पदों के लिए

इस परीक्षा में पद/सेवा वार एक पत्र होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 180 होगी तथा परीक्षा अवधि 3 घंटा की होगी।

पत्र-1

सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा/संवर्ग

नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय

- 120 प्रश्न

सामान्य ज्ञान

- 60 प्रश्न

कुल 180 प्रश्न

परीक्षा अवधि- 3 घंटा

पद/सेवा के लिए परीक्षा के विषय

क्रम सं०	पद/सेवा का नाम	परीक्षा के विषय
1	लेबोरेट्री असिस्टेंट/लेबोरेट्री अटैन्डेंट/फार्मासिस्ट	फार्मसी
2	एक्स-रे तकनिशियन	एक्स-रे प्रावैधिकी
3	आपथेल्मिक सहायक	आपथेल्मिक
4	प्रयोगशाला तकनिशियन	प्रयोगशाला प्रावैधिकी

(1) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में परीक्षा से संबंधित विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, वही पाठ्यक्रम लागू होगा।

(2) जिस सेवा/संवर्ग/पद के लिए गठित सेवा नियमावली में परीक्षा के विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है उन विषय/विषयों की परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा संबंधित विभाग के सहयोग से निर्धारित किया जायेगा।

3. झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (यथा संशोधित 2019 एवं 2021) के शेष नियम यथावत रहेंगे।

4. विभागीय संलेख ज्ञापांक 6003 दिनांक 27.09.2022 के द्वारा “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2022” के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 29.09.2022 को सम्पन्न बैठक में मद सं० 04 के रूप स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।
